



2026:AHC:38327

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3462 / 2026

कहकशां अंजुम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: जगदीश प्रसाद यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत शुरू की गई कार्यवाही, जो मुकदमा संख्या 13312 / 2025, कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या T202515060313312 के रूप में पंजीकृत थी, में प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 04.12.2025 को याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था।
2. उपरोक्त आदेश को उनके द्वारा दिनांक 01.01.2026 को वापस ले लिया गया था। उपरोक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।
3. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
4. दोनों आदेशों, अर्थात् दिनांक 04.12.2025 के आदेश और साथ ही दिनांक 01.01.2026 के आदेश के अवलोकन से, न्यायालय की प्रथम दृष्टया यह राय है कि दोनों आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किए गए हैं। अतः दोनों आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।
5. प्रतिवादी संख्या 2 - उप-जिलाधिकारी, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, कानून के अनुसार कड़ाई से और शीघ्रता से नया आदेश पारित करें, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

20 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"